संख्या-245/2017/2311/22-2-2016-17(123)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 मार्च 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रफत मियां पुत्र मो० रफी निवासी जनपद-बरेली की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44183/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 17-11-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रफत मियां पुत्र मो० रफी निवासी-कंघीटोला, थाना-किला, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 04.06.1984 को प्रात: लगभग 10:00 बजे श्रीमती किशमारी के घर में घुसकर कु० बब्बो के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। असफल होने पर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसकी उपचार के दौरान दिनांक 15.06.1984 को मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-447/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302,376/511 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 31.05-1985 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दाखिल अपील में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 02.12.1999 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 21.10.2016 तक 23 वर्ष 02 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 30 वर्ष 06 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी के किये गये अपराध से समाज के व्यापक रूप से प्रभावित होने तथा व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने और बन्दी द्वारा बलात्कार एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली से प्राप्त अभिमत दिनांक 19.10.2016 में अवगत कराया है कि सिद्धदोष बन्दी रफत मियां की उम्र 44 वर्ष 06 माह है तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए सिद्धदोष बन्दी रफत मियां की नामिनल रोल पर समयपूर्व रिहाई का कोई औचित्य नहीं है। सलाहकार समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट,बरेली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा किये गये विरोध एवं मा० पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रफत मियां पुत्र मो० रफी को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-22264(एम0/बी0)/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी रफत मियां पुत्र मो० रफी, निवासी जनपद-बरेली की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-245/2017/2311(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।